A3/4

उनवान :— नगरपालिका नैंनवा बनाम महेन्द्र सिंह

किस्म मुकदमा :— निगरानी मुकदमा संख्या :— 09/2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 21/8/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील निगराकार एवं गैरनिगराकार उपस्थित। वकील निगराकार द्वारा नगर पालिका, नैंनवा द्वारा जारी पट्टा निरस्त किये जाने हेतु उक्त निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की। बहस उभय पक्ष समाअत की गयी।<br>हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना दिनांक 10.06.2016 के अवलोकन से प्रकट हैं कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 की उप धारा (2) सपठित धारा 337 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त महोदय को उक्त धारा 73 के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण और संविधा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कर निस्तारण करने हेतु प्राधिकृत किया हुआ हैं। ऐसे में स्पष्ट हैं कि हस्तगत प्रकरण में इस न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं हैं। अतः निगरानी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में नहीं होने से खारिज की जाती हैं।<br>पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।<br>निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>अति० जिला कलक्टर<br>बून्दी (राज०) | |